न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 355/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती रूकमा पुत्री छोगाराम पत्नी चनणाराम जाति मेगवाल निवासी ओसियां जिला जोधपुर		1– बींजाराम पुत्र छोगाराम 2– शंकरलाल पुत्र अजाराम 3– राधादेवी पुत्री अजाराम 4– छोटीदेवी पुत्री अजाराम 5– जमनादेवी पुत्री अजाराम 6– माडोदेवी पुत्री अजाराम 7– शांतिदेवी पुत्री अजाराम 8– ढगलीदेवी पुत्री अजाराम 9– इमली देवी पत्नी अजाराम जाति मेगवाल निवासी ओसियां जिला जोधपुर 10–ग्राम पंचायत ओसियां, जरिये सरपंच पंचायत समिति ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियां जो राजस्व अपील संख्या 6/2012 अनवान रूकमा बनाम बींजाराम वगैरा मे दिनांक 8–7–2016 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 26–4–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ओसियां के खसरा नंबर 1753 एवं 1754 की कुल 69.07 बीघा भूमि के संयुक्त खातेदार छोगा पुत्र चीमा के फोत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी की भूमि का विरासत का नामांतरकरण संख्या 732 उसके दो पुत्रो अजाराम एवं बींजाराम के नाम सरपंच ग्राम पंचायत ओसियां ने दिनांक 15–8–76 को स्वीकृत किया । उक्त म्युटेशन संख्या 732 के विरूद्ध मृतक खातेदार छोगा की पुत्री वर्तमान अपील की अपीलार्थियां रूकमा ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष वर्ष 2012 मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–7–16 लोक अदालत केम्प पंचायत समिति ओसियां मे रखते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी जाने पर वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

अति॰ सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलाट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी होते ही अंदर मयाद अपील पेश कर दी थी तथा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन या जवाब अधीनस्थ न्यायालय मे पेश नही होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलाट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षकारो की अनुपस्थिति मे तथा बिना सुनवाई के लोक अदालत की भावना के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 732 जो मृतक खातेदार छोगाराम के समस्त विधिक उतराधिकारियो की जांच किये बिना केवल मृतक के पुत्रो के नाम स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से ऐसे विधिविरूद्ध आदेशो के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता हैं इसलिए अपीलार्थियां को जैसे ही उक्त म्युटेशन की जानकारी हुई तो अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश कर दी थी ।

अंत मे वकील अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपील का गुणावगुण पर विवेचन कर निर्णित करने के निर्देशो के साथ रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अत्यधिक विलंब को क्षमा करने हेतु अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे ऐसा कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने मे किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नही की है इसलिए अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 732 ग्राम ओसिया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं, तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात, नोटिसेज आदि का भी अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार पत्रावली वास्ते जवाब एवं रेकर्ड तलबी मे विचाराधीन थी तथा सीलनुमा आदेशिकाएं ड्रॉ होती रही तथा पत्रावली को केम्प मे रखने का उल्लेख आदेशिका मे नही है और न ही पक्षकारान को केम्प की सूचना बाबत नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय बिना पक्षकारान की सुनवाई के तथा प्रकरण का गुणावगुण पर अध्ययन किये बिना केवल मयाद के बिन्दु पर अपील को खारीज किया

है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

परिणामस्वरूप अपीलार्थियां की उक्त अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–7–16 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 26–4–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर